प्राधिकृत संख्या– 213 / 2017–18

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय–व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्याः जी–429 / आई0बी0 / 108बी0–22ए / अनु0–94 / पूँजीलेखा लखनऊः दिनांक : 31 अगस्त, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्याः 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0–147 / 2017 / 2170 / 17–27–सिं0–4–13(डब्ल्यू)परि0 / 16, दिनांक–29–08–2017 द्वारा कूड़ा नहर प्रणाली की क्षमतावृद्धि एवं सुदृढ़ीकरण की परियोजना हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुयी है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता (सोन) वाराणसी को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है :– (आकड़े लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक / उपशीर्षक / मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या–94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4701–मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 24–मेजा नहर प्रणाली (वाणिज्यिक) 051–निर्माण 10–नहरें 1014–सम्बद्ध कार्य 24–वृहत्त निर्माण कार्य	(सोन) वाराणसी।	150.00

रूपया एक करोड़ पचास लाख मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय–समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक–1 से 9 तक दिये नियमों / शर्तो के अधीन किया जाता है।

भूपेन्द्र शर्मा
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्याः जी–429 / (1) / आई0बी0 / तद्दिनांकः– 31/08/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी–प्रथम / द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2– महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3– उप सचिव, सिंचाई अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4– मुख्य अभियन्ता (विन्ध्यांचल–मिर्जापुर) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5– मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) / (अनुश्रवण) / (सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
6– मुख्य अभियन्ता (सोन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, वाराणसी को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
7– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
8– अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
9– प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10– कट फाईल।

(राशिद रजा खाँ)
मुख्य अभियन्ता (बजट)
कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
31/08/17